न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारीः– डॉ0 अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 301/2025

श्री देवीलाल चौधरी, निवासी देवीपुरा बणी, तहसील नवलगढ, जिला झुंझुनूं, पिन कोड 333303, मो0न0 7339922174

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) नवलगढ।

—

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील.

आदेश

दिनांक 14.08.2025

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 22.07.2025 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 301/2025 पर दिनांक 22.07.2025 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) नवलगढ के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) नवलगढ को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) नवलगढ से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2025/3594–95 दिनांक 22.07.2025 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) नवलगढ ने पत्रांक सू0अ0अ0/2025/332 दिनांक 14.08.2025 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के द्वारा प्रश्नगत सूचना चाही गई। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत कार्यालय मे उपलब्ध रिकार्ड मे से रिकार्ड उपलब्ध होने पर सूचना दी जाती है। आवेदनकर्ता द्वारा मात्र प्रश्नात्मक क्या, क्यों, कब तक के संबंध मे सूचना चाही है। सूचना प्रश्नात्मक होने से आवेदकर्ता का आवेदन पत्र अस्वीकृत कर आवेदनकर्ता को इस संबंध मे कार्यालय के पत्रांक सू0अ0अ0/25/330 दिनांक 08.08.2025 के द्वारा अवगत कराया जा चुका है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावें।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) नवलगढ पत्रांक सू0अ0अ0/2025/332 दिनांक 14.08.2025 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के द्वारा प्रश्नगत सूचना चाही गई। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत कार्यालय मे उपलब्ध रिकार्ड मे से रिकार्ड उपलब्ध होने पर सूचना दी जाती है। आवेदनकर्ता द्वारा मात्र प्रश्नात्मक क्या, क्यों, कब तक के संबंध मे सूचना चाही है। सूचना प्रश्नात्मक होने से आवेदकर्ता का आवेदन पत्र अस्वीकृत कर आवेदनकर्ता को इस संबंध मे कार्यालय के पत्रांक सू0अ0अ0/25/330 दिनांक 08.08.2025 के द्वारा अवगत कराया जा चुका है। चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना प्रश्नात्मक है जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत देय नही है एवं इस बाबत अपीलार्थी को अवगत कराया जा चुका है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 14.08.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 अरूण गर्ग)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं